UPKU1000016812024

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर

उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)

परिवाद सं०–1274/2024

मंजू विश्वकर्मा बनाम कन्हैया शर्मा आदि

धारा– 323, 504, 406 भा०दं०सं०

थाना को०हाटा, जिला कुशीनगर।

दिनांक–18.07.2026

पत्रावली पेश हुए। परिवादिनी **मंजू विश्वकर्मा** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र दिनांकित 18.07.2026 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० परिवादिनी की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि हम प्रार्थिनी के मध्य गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के मध्य सुलह समझौता हो गया है। मुकदमा बने रहने से संबंध और खराब होने की सम्भावना है। अब हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है हम प्रार्थिनी मुकदमा लड़ना नहीं चाहती है। हम प्रार्थिनी का मुकदमा समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उभय पक्षो को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त कन्हैया विश्वकर्मा के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा 323, 504, 406 भा०दं०सं० के तलबी आदेश पारित किया जा चुका है। परिवादिनी मंजू विश्वकर्मा न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि उभयपक्षो के मध्य सुलह हो गयी है और वर्तमान में पक्षकारो के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। अतः प्रश्नगत वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाए।

इस संबंध में धारा 320 दं०प्र०सं० का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध धारा 320 दं०प्र०सं० के उपधारा (2) के अन्तर्गत वर्णित है जो कि न्यायालय की अनुमति से वादी मुकदमा/पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर एक शमनीय अपराध है। जिसके फलस्वरूप न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त परिवादिनी/पीड़िता की ओर से यह प्रार्थनापत्र दिनांक 18.07.2026 प्रस्तुत कर पक्षकारो के मध्य सुलह हो जाने के कारण मुकदमे की कार्यवाही को अभियुक्त कन्हैया विश्वकर्मा के विरूद्ध इस स्तर पर समाप्त किये जाने की याचना की गई है। चूंकि स्वयं परिवादिनी के द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मुकदमें की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी है। अतः प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही अभियुक्त कन्हैया विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा 320 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समन किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.07.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.07.2026 अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० स्वीकार किया किया जाता है। अभियुक्त **कन्हैया विश्वकर्मा** के विरूद्ध कार्यवाही समन की जाती है व अभियुक्त को **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 18.07.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, जिला–कुशीनगर।

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.07.18 16:56:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court